संख्या– 163 / 14–xxiv–4–6(16) / 2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय–अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में अंकित अशासकीय मान्यता प्राप्त 03 हाईस्कूल, 03, जूनियर हाईस्कूल कुल–06 (छः) विद्यालयों को अनुदान सूची में लिए जाने पर निम्नवत् अस्थायी पदों को शासनादेश निर्गत होने के दिनांक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दि0 28 फरवरी, 2015 तक, बशर्ते कि ये पद इससे पहले बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	पदनाम	वेतनक्रम (रू0 में)	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रधानाध्यापक (हाईस्कूल)	15,600–39,100 ग्रेड पे 5400	01 पद (क0सं0–01 पर अंकित विद्यालय हेतु)।
2.	सहायक अध्यापक (हाई स्कूल)	9300–34800 ग्रेड पे–4600	03 पद (क0सं0–01 पर अंकित विद्यालय हेतु)।
3.	सहायक अध्यापक (सम्बद्ध प्राईमरी)	9300–34800 ग्रेड पे 4200	05 पद (क0सं0–02 पर अंकित विद्यालय हेतु)।
4.	लिपिक	5200–20200 ग्रेड पे 2000	01 पद (क0सं0–01 पर अंकित विद्यालय हेतु)।
5.	परिचारक	आउट सोर्सिंग के माध्यम से	02 पद (क0सं0–01 पर अंकित विद्यालय हेतु)।

2. उपर्युक्त तालिका में अंकित सभी पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित विद्यालयों में वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार पूर्व में सृजित पदों के समायोजन/उच्चीकरण करने के बाद पदों की गणना तथा वर्तमान में छात्र संख्या एवं सम्बन्धित पदधारक प्रतिवादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों। सृजित पदों का परीक्षण सम्बन्धित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. संलग्न तालिका के क0सं0–03 से 06 पर अंकित विद्यालयों के प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हुए है, अतः इन विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकतानुसार पदों का सृजन शासन स्तर पर प्रस्ताव उपलब्ध होने के उपरान्त पृथक से किया जायेगा।

....2

H.C.

4. सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्तियां उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अर्न्तगत बनाये गये विनियम, 2009 में वर्णित निर्धारित प्रकिया तथा आउटसोर्सिंग के पद उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विद्यालय का अनुशासन सन्तोषजनक हो।

5. उक्त विद्यालयों में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तो की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारियों को शर्तो/प्रतिबन्धों की पूर्ति के निर्देश दे दिये जाय।

6. उक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रकिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उपर्युक्त तालिका के क्रम संख्या–01 से 04 पर अंकित पदधारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। सम्बन्धित विद्यालय हेतु भूतकाल में स्वीकृत पदों तथा इस शासनादेश द्वारा सृजित पदों की गणना के आधार पर जनशक्ति के विवरण भलीभांति परीक्षणोपरान्त यथाशीघ्र जारी कर दिये जायेगें।

8. यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमिततायें हो तो अनुदान सूची में लेने के 02 (दो) वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालयों द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभिन्न शासनादेशों द्वारा अब तक अनुदान सूची में सम्मिलित किए गये सभी ऐसे विद्यालयों को जिनके द्वारा पूर्व में अधिनियम की धारा–9(4) तथा विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–18(4) के अर्न्तगत प्रदत्त की गयी वित्तविहीन मान्यता की सभी शर्ते पूर्ण कर ली गयी हों, को ही अनुदान सूची में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जायेगी।

10. जिन विद्यालयों द्वारा जूनियर हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत मानक पूर्ण कर लिए गये हो तथा जो विद्यालय हाईस्कूल स्तर पर अनुदानित होने की स्थिति में जूनियर हाईस्कूल स्तर पर पूर्व से अनुदानित है एवं इण्टर स्तर पर अनुदानित होने की स्थिति में हाईस्कूल स्तर पर पूर्व से ही अनुदानित है केवल ऐसे विद्यालयों को ही अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए आवश्यकतानुसार पदों के सृजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11. ऐसे विद्यालय जिन्हें वर्ष 2013–14 में सवित्त मान्यता/अनुदान सूची में जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल तथा इण्टर स्तर पर अनुदानित किया गया हो तो उन्हें पुनः इसी वित्तीय वर्ष में अगले उच्चस्तर पर कदापि अनुदानित नहीं किया जायेगा। उपर्युक्त सभी शर्ते वर्ष 2013–14 में विभिन्न शासनादेशों द्वारा अनुदान सूची में लिये गये विद्यालयों पर लागू होंगी तथा पूर्व में जारी उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 आयोजनागत के अधीन लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा, 110–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–03–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान–01–आवर्तक अनुदान–43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान के नाम डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–271(P)XXVII(3)/2013–14, दिनांक 03 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः उपर्युक्त।

भवदीय,

(एस0राजू),
प्रमुख सचिव।

.....3

H.C.

संख्या– 163(1)/14–xxiv–4, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा रूद्रप्रयाग।
5. कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा रूद्रप्रयाग।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड।
8. सभापति, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
9. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
10. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी।
11. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
12. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ/माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

H.C.

शासनादेश संख्या– /63 (1)/14–xxiv–4–6(16)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 का संलग्नक।

क0सं0	विद्यालय का नाम
1.	उ0मा0वि0 कसारदेवी अल्मोड़ा।
2.	सनातन धर्म गर्ल्स इ0का0, मसूरी के प्रामरी अनुभाग को अनुदान।
3.	ज0जू0हा0 स्कूल जखन्याली (नैलचामी)।
4.	शिशु विद्यापीठ उ0मा0वि0, पिथौरागढ़।
5.	सरदार पटेल उ0मा0वि0 चौरा (दुग) बागेश्वर।
6.	नवदीप आर्दश चिल्ड्रन एकेडमी जू0हा0 स्कूल, रूद्रप्रयाग।

भवदीय,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

H.C.